

2022/219

2022/220

फर्द अहकाम
(नियम 20)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
बनाम गीलोफर पल्लि गुणफार अलीजी जाति मुरालमान गिवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली (राजो)
अप्रार्थी
किरम मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण सं० /2022 GCMS NO. 2022 /
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
20.06.2022	<p>प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैरियत भूमिधारी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रस्तुत मूल धारा 177 के प्रकरण के निरतारण तक बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी प्रकरण में वर्णित भूमि ग्राम बेडा चक प्रथम तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 35/3 रकबा 1.05 हैक्टर किरम बारानी दायम के रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति रखे जाने की अरथाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया किया।</p> <p>प्रार्थी भूमिधारी ने अपने प्रार्थना पत्र में इसका आधार यह बताया कि अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि का अनाधिकृत रूप से अकृषि प्रयोजन वाणिज्यिक (होटल रिसॉर्ट) के उपयोग में लिये जाने की को चेष्टा की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा ग्राम बेडा चक प्रथम तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 35/3 रकबा 1.05 हैक्टर किरम बारानी दायम के रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति कायम रखने का निवेदन किया।</p> <p>तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया गया। प्रकरण राजस्व विविध में पंजिबद्ध किया जावे। इस संबंध में अप्रार्थी खातेदार द्वारा अपनी कृषि भूमि को The Rajasthan Micro, Small & Medium Enterprise (Facillitation of Establishment and Operation) Act, 2019 के तहत रूपान्तरण करवाये जाने बाबत् की जा रही कार्यवाही के साक्ष्य स्वरूप ऑन लाईन प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 02.06.2022 की प्रति एवं इस संबंध में राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग द्वारा जारी एकनोलेजमेन्ट सर्टिफिकेट की प्रति पेश की। सर्टिफिकेट की शर्त-02 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नियमों के तहत संपरिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने तक किसी प्रकार की कार्यवाही को किये जाने बाबत् प्रतिबंधित करते हुये आवेदक को अपनी गतिविधियों नियमों के अधधीन रहते हुये करने बाबत् छूट दी गई है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में The Rajasthan Micro, Small & Medium Enterprise (Facillitation of Establishment and Operation) Act, 2019 के तहत अप्रार्थी द्वारा ऑन लाईन आवेदन कर देने एवं जारी नियमों के तहत आवेदक अप्रार्थी को छूट प्रदान कर देने से धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत किसी प्रकार की कार्यवाही की जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल धारा 177 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। मूल प्रकरण धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज होने से उक्त टी. आई प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली